

FORM NO III

①

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मुकाम रामगढ़ जिला -अलवर

सन्नी ५५ धरमपूर बनाम मिश्री कालू शर्मा

कसम मुकदमा नं. 1/35/9-4-15 सन

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मयइनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	----------------------------------	--

9/10/15

स्कील वादी ने उपस्थित न्यायाधीश वरुण शर्मा द्वारा सुनवाई के बाद 53, 88, 89, 145/15 के अन्तर्गत पत्रावली प्रकृत रूप में हाजिर प्रस्तुत की गयी जो कि सत्यापित तथा प्रामाणिक सिद्ध हुई।

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

11/10/15
वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी
हस्ताक्षर
दिनांक 11/10/15

15/10/15 पत्रावली का लोक अदालत में निस्तारण नहीं हो सका। पत्रावली वादी के द्वारा 9/10/15 को पेश हो।

अध्याक्ष एप उप खण्ड अधिकारी
लोक अदालत (रामगढ़) अलवर

9/10/15

वादी के वकील/वकूलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी
हस्ताक्षर है। पेश किया नकल दिलाई गई। वास्ते पत्रावली दिनांक 11-10-15 को पेश हो।

रीडर

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मयईनिशियल्स जज

26.12.23

पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील वादी अनुपस्थित
 वकील व उनके वादी को बार-बार भावाज
 दिलायी गई। साथ 5:30 बजे तक इंतजार किया
 तथा इसके बावजूद वकील व उनके वादी
 उपस्थित नहीं आये। अतः दावा वकील व उनके
 वादी की अलग हाजिरी - अलग पेशी में खारिज
 किया जाता है। पत्रावली फैसल नम्बर 100 नं.
 से क्रम है। बाद तमिऴ तक्रमील दाखिलदफ्तरके

उपसुब्ब अधिकारी
गोविन्दगढ़ (अजमेर), राज.

क्रमांक वादी
 वादी पक्ष
 विवाद
 दिनांक दिनांक दिनांक

क्रमांक वादी
 वादी पक्ष
 विवाद
 दिनांक दिनांक दिनांक

क्रमांक वादी
 वादी पक्ष
 विवाद
 दिनांक दिनांक दिनांक

क्रमांक वादी
 वादी पक्ष
 विवाद
 दिनांक दिनांक दिनांक

क्रमांक वादी
 वादी पक्ष
 विवाद
 दिनांक दिनांक दिनांक

क्रमांक वादी
 वादी पक्ष
 विवाद
 दिनांक दिनांक दिनांक